XVI

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

नेशनल हाइवे न. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर
0151–2212041, 2212042 (फैक्स) 2212044

क्रमांक प.07(334-VI)मगंसिविबी / शैक्ष. / बोम–16 / 2011 / दिनांक

समस्त सदस्य
प्रबन्ध मण्डल,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राज.)

विषय :– प्रबन्ध मण्डल की **16वीं** बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 22–10–2011 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 16वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

कुलसचिव

क्रमांक प.07(334-VI)मगंसिविबी / शैक्ष. / बोम–16 / 2011 / 31751–53 दिनांक 29.11.11

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1. वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / शैक्षणिक), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर। गोपनीय
6. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव

प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक दिनांक 22–10–2011 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक दिनांक 22.10.2011 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1. प्रो. गंगा राम जाखड़ – अध्यक्ष
2. श्री दौलत राज नायक – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विधानसभा सदस्य)
3. प्रो. एल.एन. गुप्ता – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
4. डॉ. एस.एस. टाक – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
5. श्री आर.के. वर्मा – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय)
6. श्री मनीराम – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
7. श्री एच.आर. इसरान – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
8. प्रो. एम.एम. सक्सेना – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
9. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
10. श्री राजेन्द्र सिंह कविया – सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सभी सदस्यों का कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/172

प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक दिनांक 11–08–2011 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक दिनांक 11–08–2011 के विनिर्णिय संख्या मगंसिविबी/बोम–15/2011/166 के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री एच.आर. इसरान द्वारा पत्र के द्वारा सुझाव दिया कि **Manager, Guest House** की **Essential Qualification** के बिन्दु संख्या 02 में **State** शब्द विलोपित है अतः **State** शब्द को जोड़ा जावें। विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 22563–79 दिनांक 19–09–2011 के द्वारा कार्यवाही विवरण में आंशिक संशोधन कर माननीय सदस्यों को सूचित किया जा चुका है। निम्नानुसार आंशिक संशोधन के साथ कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :–

Manager, Guest House

Essential Qualification :

1. Bachelor's degree from recognized university or its equivalent qualification.
2. Diploma in Hotel Management & catering from recognized Institute of State/Central Govt. or University.

Desirable Qualification :

3. Working experience of 3 years in Circuit House/Hotel or Tourist Bungalow run by Corporation of Central/State Govt.

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/173

प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक दिनांक 11–08–2011 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की संलग्न पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– माननीय सदस्य डॉ. एस.एस. टाक द्वारा विनिर्णय संख्या मगंसिंविबी/बोम–15/2011/171(i) अतिथि गृह का उपयोग करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि अंकित दरें सर्किट हाउस एवं अन्य विश्वविद्यालयों के अतिथि गृह से अधिक प्रतीत होती है। अतः सर्किट हाउस एवं अन्य विश्वविद्यालयों से दरों की सूची मंगवाकर दरे संतुलित कर पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जावें। विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/बोम–15/2011/171 (ii) के सम्बन्ध में प्रकरण आगामी प्रबन्ध मण्डल बैठक में एजेण्डा आइटम के रूप में रखने का निर्णय लिया। आर्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भादरा के सम्बन्ध में विनिर्णिय संख्या मगंसिंविबी/बोम–15/2011/ 170 की पालना में प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर महाविद्यालय स्वीकृत स्थान पर संचालित होना पाया गया है। उपरोक्त प्रकरण पर अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय के समय, श्रम एवं धन का दुरूपयोग होने के कारण पूर्व में लिये गए निर्णय के अनुसार महाविद्यालय पर 50,000/– (अखरे रूपये पचास हजार) शास्ति लगाने के प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार करते हुए प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/174

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27–09–2011 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27–09–2011 का संलग्न कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27–09–2011 के कार्यवाही विवरण पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। साथ ही विभिन्न सदस्य गणों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

1. इस विश्वविद्यालय में सम्बद्वता शुल्क अन्य विश्वविद्यालय की तुलना में कम है अतः शैक्षणिक सत्र 2012–13 से अन्य विश्वविद्यालयों यथा राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती महाविद्यालय, अजमेर में प्रचलित सम्बद्वता शुल्क का विवरण प्राप्त कर सम्बद्वता शुल्क के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

2. वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक के सफल परीक्षार्थियों की List of graduates को पुस्तिका के रूप में मुद्रित कराया जावे तथा शोध छात्रों की संकायवार सूची तैयार की जावे।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/175

वाहन चालक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारण के अनुमोदन का प्रस्ताव

वाहन चालक पद के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमों में अधिकतम आयु एवं न्यूनतम शिक्षा का उल्लेख नहीं होने के कारण प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन की प्रत्यासा में माननीय कुलपति महोदय की आज्ञानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता को रखते हुए माह सितम्बर, 2010 में एक वाहन चालक का चयन किया जाकर नियुक्ति की गई तथा शेष तीन वाहन चालाकों का चयन व नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

अतः वाहन चालकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता (छायाप्रति संलग्न) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/176

विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा वर्ष 2011 के पुनर्मूल्याकंन कार्य के लिए मानदेय/पारिश्रमिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

परीक्षा 2011 का पुनर्मूल्याकंन कार्य प्रक्रियाधीन है। कर्मचारियों द्वारा पुनर्मूल्याकंन कार्य कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात सम्पादित किया जा रहा है। परीक्षा वर्ष 2010 में पुनर्मूल्याकंन कार्य हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत मानदेय/पारिश्रमिक आदेश की प्रति संलग्न कर परीक्षा 2011 के पुनर्मूल्याकंन कार्य हेतु इन्हीं दरों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्मिकों को मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। माननीय सदस्य डॉ. एस.एस. टाक ने सुझाव दिया कि परीक्षात्मक कार्यो हेतु दिये जाने वाले मानदेय की दरों एवं मदों में जब तक परिवर्तन प्रस्तावित नहीं हो तब तक प्रबन्ध मण्डल प्रति वर्ष अनुमोदन करवाने की आवश्यकता नही होनी चाहिए। सदन ने सुझाव से सहमति प्रकट करते हुए तद्नुसार भाषा में संशोधन सहित प्रस्तुत प्रारूप का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/177

दीक्षान्त समारोह में वितरित किये जाने वाले गोल्ड मेडल हेतु बजट आवंटन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह का आयोजन माह नवम्बर, 2011 में होना प्रस्तावित है। दीक्षान्त समारोह आयोजन हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा 10 लाख रूपये का बजट आवंटन किया गया है। दीक्षान्त समारोह में लगभग 250 गोल्ड मेडल क्रय किये जाने हैं जो 22 ग्राम चांदी के बने होंगे तथा उन पर सोने की पालिस की हुई होगी । गोल्ड मेडल क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। वर्तमान स्थानीय बाजार भावों के अनुसार गोल्ड मेडलस की अनुमानित लागत लगभग 06.00 लाख (छः लाख) रूपये संभावित है।

अतः प्रथम दीक्षान्त समारोह में वितरण हेतु बनाये जाने वाले गोल्ड मेडल हेतु वित्त वर्ष 2011–12 में 06.00 लाख (छः लाख) की राशि का अतिरिक्त प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/178

विश्वविद्यालय में चतुर्थ चरण के अन्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वास्तुविद की नियुक्ति आदेश के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में चतुर्थ चरण के अन्तर्गत 701.00 लाख की अनुमानित लागत से विभिन्न भवनों 'केंटीन, पार्किंग शेड, बाउंड्री वाल 1 किमी, ग्रेवल रोड़, परीक्षा भवन विस्तार, नये एकेडमिक ब्लॉक एवं स्पोर्टस कॉम्पलेक्स; का निर्माण कार्य करवाया जाना है। उपरोक्त कार्यों के लिए मैसर्स आरएसआरडीसी लिमिटेड से दिनांक 21.07.2011 को एमओयू सम्पादित किया गया है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.01(37)मगंसिविबी/भवन/2011/2306–11 दिनांक 06.08.2011 के द्वारा एमओयू की शर्तों के अन्तर्गत कुल अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत 175.25 लाख रुपये आरएसआरडीसी को अग्रिम राशि जारी कर दी गई है।

मैसर्स आर.एस.आर.डी.सी. लि. बीकानेर ने माननीय कुलपति महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 14.09.2011 के द्वारा अवगत कराया कि आरएसआरडीसी द्वारा वास्तुविद् की नियुक्ति निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जानी है जिसमें कम–से–कम 20 दिन का समय लगेगा। यदि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर वास्तुविद् की नियुक्ति करता है तो सिविल कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सकती है। विश्वविद्यालय में वर्तमान परीक्षा भवन विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप अत्याधिक छोटा होने, विश्वविद्यालय में पांच विभागों में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ हो जाने, आगामी वर्ष में उत्तरार्द्ध की कक्षाओं हेतु भवन की आवश्यकता होने आदि के कारण चतुर्थ चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित शैक्षणिक भवन का निमार्ण कार्य अति शीघ्र प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। इसी के साथ छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंटीन एवं पार्किंग शेड का भी शीघ्र निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय पत्रांक 2508 दिनांक 22.09.2011 के द्वारा आरएसआरडीसी को उनके संस्थान द्वारा बीकानेर स्थित अन्य किसी कार्यालय में निर्माण कार्य हेतु वास्तुविद् की सेवाओं के लिए आमंत्रित निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर से अवगत कराने हेतु लिखा गया। साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त की गई कि चतुर्थ चरण के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवन पूर्व में निर्मित भवनों के समान होने के कारण क्या नये भवनों के निर्माण के लिए वास्तुविद् की सेवाओं के बगैर भी कार्य कराया जा सकता है।

मैसर्स आर.एस.आर.डी.सी.च ने पत्रांक 811 दिनांक 22.09.2011 के द्वारा अवगत कराया कि बीकानेर में जनाना अस्पताल एवं अन्य सिविल कार्य जिनकी अनुमानित लागत 10.00 करोड़ रुपये है के निर्माण हेतु वास्तुविद् की सेवाओं के लिए 20.09.2011 को आमंत्रित निविदा के अन्तर्गत न्यूनतम संवेदक की दर 4,35,000/– आई है तथा चतुर्थ चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन पूर्व में निर्मित भवनों के समान होने के उपरान्त भी नियमानुसार वास्तुविद् की आवश्यकता रहेगी।

विश्वविद्यालय में चतुर्थ चरण के अन्तर्गत भवनों की 701.00 लाख की अनुमानित लागत है। न्यूनतम दर के अनुसार चतुर्थ चरण के अन्तर्गत वास्तुविद् की सेवाएं ली जाती है तो विश्वविद्यालय को लगभग 3,04,500/– का भुगतान करना होगा। पूर्व चरणों में आरएसआरडीसी को विश्वविद्यालय द्वारा सेवाओं के लिए कुल लागत की 9 प्रतिशत राशि भुगतान की जाती रही है। इसी 9 प्रतिशत राशि में से आरएसआरडीसी द्वारा वास्तुविद् को भुगतान किया जाता था। अब विश्वविद्यालय द्वारा वास्तुतविद् की नियुक्ति की जाती है तो आरएसआरडीसी को 9 प्रतिशत की बजाय 7.5 प्रतिशत राशि सेवाओं के लिए भुगतान की जानी है। चतुर्थ चरण में कुल लागत 701.00 लाख की 1.5 प्रतिशत राशि के हिसाब से 10,51,500/– रुपये का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा आरएसआरडीसी को को अतिरिक्त देना होता है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा वास्तुविद् की नियुक्ति की जाती है तो निविदा में न्यूनतम दर के अनुसार 3,04,500/– का भुगतान करना होगा। इस

प्रकार विश्वविद्यालय को 747000 (10,51,500–304500) की बचत होगी तथा कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय में पूर्व चरणों में हुए निर्माण कार्यो हेतु नियुक्त वास्तुविद को विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यो की समस्त जानकारी होने के कारण पूर्व नियुक्त वास्तुविद फर्म AXIS, 8-A, Kailash Path, Suraj Nagar(W) Civil Lines, Jaipur से सम्पर्क किया गया तथा दरों के सम्बन्ध में नेगोशियशन के उपरान्त फर्म द्वारा पत्र दिनांक 01–10–2011 के द्वारा चतुर्थ चरण के अन्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) में कार्य करने की सहमति प्रदान की गई।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.1(37)मगंसिविबी/भवन/2011/2559–64 दिनांक 07–10–2011 के द्वारा AXIS, 8-A, Kailash Path, Suraj Nagar(W) Civil Lines, Jaipur को चतुर्थ चरण के अन्तर्गत करवाये जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु वास्तुविद नियुक्त किया गया। वास्तुविद् नियुक्ति आदेश दिनांक 07–10–2011 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– विचार विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा वित्तीय औचित्यता एवं कार्य की महत्ता के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/179

परीक्षा 2011 के दौरान अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणों का निस्तारण अनुमोदनार्थ

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2011 के दौरान विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त 229 अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरणों पर परीक्षक की रिपोर्ट, अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा तथा अध्यादेश 152 के प्रावधानों के अन्तर्गत इन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्रकरणों का विस्तृत विवरण प्रबन्ध मण्डल बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणों के निस्तारण का इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरणों का विस्तृत विवरण नियमावली सहित के साथ प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/180 (I)

विश्वविद्यालय फ्लाईंग स्कवेड के सदस्यों को देय पारिश्रमिक दर में परिवर्तन एवं बाह्य परीक्षा केन्द्रों पर भेजे जाने वाले फ्लाईंग स्क्वेड सदस्यों को पारिश्रमिक के अतिरिक्त दैनिक भत्ता भी दिये जाने का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए फ्लाईंग स्कवेड का गठन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें प्राध्यापकों को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। परीक्षा केन्द्र दो प्रकार के होते हैं यथा– स्थानीय एवं बाह्य। स्थानीय परीक्षा केन्द्र पर फलाईंग स्कवेड के सदस्य के रूप में जाने वाले प्राध्यापक को 100/– रू. प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक देय होता है। बाह्य परीक्षा केन्द्रों पर फ्लाईंग स्कवेड के सदस्य के रूप में जाने वाले प्राध्यापक को 200/– रू. प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक वर्तमान में देय है, जो अपर्याप्त होने के कारण समुचित नहीं है और इस दर पर प्राध्यापकों को स्कवेड के सदस्यों के रूप में बाह्य परीक्षा केन्द्रों पर भेजने में कठिनाई अनुभव होती है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय परीक्षा केन्द्रों पर भेजे जाने वाले फ्लाईंग स्कवेड के सदस्यों को 200/– रू. प्रतिदिन का फिक्स पारिश्रमिक तथा बाह्य परीक्षा केन्द्रों पर भेजे जाने वाले फ्लाईंग स्कवेड सदस्यों को 200/– रू. प्रतिदिन के फिक्स पारिश्रमिक के साथ राज्य सरकार के नियमानुसार दैनिक भत्ता भी

दिया जाना चाहिए। वर्ष 2011 की सभी परीक्षाओं में भेजे गये फ्लाईंग स्कवेड के सदस्यों को तथा आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए भी उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श कर फ्लाईंग स्कवेड के स्थानीय परीक्षा केन्द्रों पर भेजे जाने वाले सदस्यों को 100/– रू. प्रतिदिन का पारिश्रमिक यथावत् रखने तथा बाह्य परीक्षा केन्द्रों पर भेजे जाने वाले सदस्यों को 200/– रू. प्रतिदिन पारिश्रमिक के साथ साथ राज्य सरकार के नियमानुसार दैनिक भत्तों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–16/2011/180 (II)

55 सेवानिवृत कार्मिकों तथा 50 संविदा श्रमिकों की क्रमशः स्थिर पारिश्रमिक एवं ठेकेदार के माध्यम से सेवाऐं प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.09.2010 के द्वारा विश्वविद्यालय में 50 सेवानिवृत कार्मिकों तथा 40 संविदा श्रमिकों को 6 माह की अवधि हेतु रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अवधि में अभिवृद्धि हेतु पत्रांक 14024 दिनांक 22.07.2011 के द्वारा राज्य सरकार को निवेदन किया गया था। वर्तमान में 50 सेवानिवृत कर्मी तथा 5 सफाई कर्मियों सहित 45 संविदा श्रमिकों की सेवाएं प्राप्त की जा रही है।

विश्वविद्यालय में हाल ही में 5 नवीन शैक्षणिक विभागों एवं विश्राम गृह के संचालन, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं परीक्षार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि तथा अन्य व्यापक परीक्षात्मक व प्रशासनिक कार्यों के समयबद्ध निस्तारण हेतु 50 के स्थान पर 55 सेवानिवृत कार्मिकों तथा 40 के स्थान पर 50 श्रमिकों को संविदा के आधार पर विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार रखने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित स्टॉफ की कमी एवं कार्याधिकता को देखते हुए पर्याप्त कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति होने तक अधिकतम 55 सेवानिवृत कार्मिक तथा 50 संविदा श्रमिकों की क्रमशः स्थिर पारिश्रमिक एवं संविदा के आधार पर ठेकेदार के माध्यम से सेवाएं लेने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव